

कार्यालय
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्।

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्रशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/ ५५२८

लगानी: दिनांक: ०५.०९.२०२१।

:कार्यालय जाप:-

आगेरी भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्सोमा स्नायी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, ३०८० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक ८-८-२०२१ को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति को बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रदेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य भौती पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के आनुभाव में सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, ३० अ० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निर्मांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसने अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	संख्या कोड	संस्था का नाम	सत्र 2021-22 हेतु पी०सी०आ०१० द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता
०१	४१८३	विद्यावाली देवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, दामोदरपुर, जटारीली, चम्पामुकामजली, देवरिया-२७४५०९	डिल्ली इन फार्मेसी-६०	६०

सम्बद्धता हेतु शर्तें


- ✓ संस्था ए०आ०१०सी०टी०इ०/पी०सी०आ०१० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट १९६२ तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमबाली १९९२, सेमेस्टर विनियमावली-२०१६ तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंवी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० ३०१५०.००/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु० ४५०००.००/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० २२५००.००/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्णय किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और लालनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का मुनिन्पारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उत्तर प्राविधिक शिक्षा समितियां सभा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-२००० की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में हांस्यकृत प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्णय शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आ०१०सी०टी०इ०/पी०सी०आ०१० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

- ✓ संस्था आर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्रतिलिपि शिक्षा, ३०प्र०, रायुक्त प्रधेश परीक्षा परिषद, ३०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, ३०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विभिन्नग्रौं, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये गाद्य होगी।
- ✓ छिप्लोगा इन पार्मेंसी पाठ्यक्रम में संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस रायंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किरी भी पार्मेंसी के लिए संस्था स्तर पर उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालग एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के रायंध में आ. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो रागरत्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ छिप्लोगा एन पार्मेंसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लघुनक्ष द्वारा प्रत्येक तर्फ के लिए आयोगित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग वा माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश राज्यालय द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबवाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐलाइसिक पृष्ठे भूमि, स्टाफ, साझ-सञ्ज्ञा, उपकरण, प्राप्ति किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त यातावरण उपलब्ध कराने के साथ ऐगिंग रोमाने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति ने समक्ष उपलब्ध कराये गये अभियोग, भूमि-शब्द, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा निर्माण अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है तो परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त वा प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्वलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, गवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साझ-सञ्ज्ञा रोआई०सी०टी०इ०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता निर्माण किसी सूचना के समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्ययात्री की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव।

तदृदिनांक: ०१-०९-२०२१

प०स०-प्राचिप/परिषद सम्बद्धता/2021/ ५१२६
प्रतिलिपि:-प्रधानाचार्य/निदेशक, विचारी देवी कॉलेज ऑफ पार्मेंसी, यामोदरपुर, जहरीली, चक्रगुप्तगढ़ी,
देवरिया-274509


(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव।